

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड,
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 309/2011 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 23.05.2011

फाइलिंग नंबर : 230303003362011

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

- 1—कल्ली उर्फ रनवीरसिंह पुत्र कमलसिंह जाट उम्र 36 साल निवासी ग्राम पाली थाना गोहद जिला भिण्ड
- 2—कल्ली उर्फ राजवीर पुत्र जगदीशसिंह जाट उम्र 36 साल निवासी ग्राम चम्हेड़ी थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.....**फरार**
- 3—लक्ष्मणसिंह पुत्र निहालसिंह जाट उम्र 32 साल निवासी ग्राम उझावल थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.
- 4—बबलू उर्फ अरविन्द पुत्र रामस्वरूपसिंह जाट उम्र 37 साल निवासी ग्राम टुडीला थाना मालनपुर जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियुक्तगण

(आरोप अंतर्गत धारा—294, 341, 325, एवं 506 भाग दो भा0द0सं0)

(राज्य द्वारा एडीपीओ— श्रीमती हेमलता आर्य)

(आरोपी कल्ली उर्फ रनवीर, लक्ष्मणसिंह, बबलू उर्फ अरविन्द द्वारा अधिवक्ता—श्री
आर0सी0यादव)

निर्णय

(आज दिनांक 12-10-2017 को घोषित)

आरोपीगण पर दिनांक 02.01.11 को सुबह करीबन 7 बजे अस्पताल के पीछे राजेन्द्रसिंह के सरसों के खेत ग्राम पाली में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी अलाउद्दीन को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, अलाउद्दीन को उसकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर उसे सदोष अवरोध कारित करने, अलाउद्दीन को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं उसी समय फरियादी अलाउद्दीन की

लाठियों से मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर उसे स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित करने हेतु भा0द0स0 की धारा 294, 341, 506 भाग दो एवं 325 के अंतर्गत आरोप है।

02. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 02.01.11 को फरियादी अलाउद्दीन सुबह स्कूल से पानी भरकर आ रहा था तो अस्पताल के पीछे आरोपी कल्ली ने उसका रास्ता रोक लिया था। कल्ली लोहांगी लाठी लिए था उसने अलाउद्दीन को मां बहन की अश्लील गालियां दी थी एवं जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी अलाउद्दीन ने आरोपी को गालियां देने से मना किया था इसी बात पर आरोपी कल्ली ने उसके माथे पर सामने से लोहांगी लाठी मारी थी तथा एक लाठी केहरी के लड़के ने उसके दाहिने हाथ के पंजे में मारी थी इसके बाद एक आदमी जो आसपास सरसों के खेत में छिपा था उसने आकर उसके शरीर में दो लाठी मारी थी जो उसके दाहिने घुटने के नीचे एवं बांये हाथ की कोहनी में लगी थी। एक व्यक्ति और छिपा था उसने भी फरियादी की लाठियों से मारपीट की थी। आरोपीगण घटना के वक्त जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। आरोपीगण ने उसकी सरसों के खेत में पटककर मारपीट की थी एवं काफी देर तक उसका रास्ता रोके रहे थे मौके पर उसका लड़का समीन खान एवं अलीम खान आ गये थे जिन्होंने घटना देखी थी। फरियादी की रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद चौराहा पर अप0क0 01/11 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे, आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

03. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

04. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वे निर्दोष हैं उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

05. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 02.01.11 को सुबह करीबन सात बजे अस्पताल के पीछे राजेन्द्रसिंह के सरसों के खेत ग्राम पाली में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी अलाउद्दीन को मां-बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुननेवालों को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी अलाउद्दीन को उसकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर उसका सदोष अवरोध कारित किया ?
3. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी अलाउद्दीन को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
4. क्या घटना दिनांक को फरियादी अलाउद्दीन के शरीर पर उपहतियां थी ? यदि हां तो उनकी प्रकृति ?

5. क्या उक्त उपहतियां फरियादी अलाउद्दीन को आरोपी और केवल आरोपीगण द्वारा ही स्वेच्छया कारित की गयी ?

06. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी अलाउद्दीन खान अ0सा01 खाटून अ0सा02, अनीशा अ0सा03, इब्राहीम अ0सा04 समीन खान अ0सा05, अलीम खान अ0सा06, डॉ0 संतोष कुमार सोनी अ0सा07, ए0एस0आई0 बैजनाथसिंह अ0सा08, नारायणसिंह अ0सा09, एवं इन्द्रसिंह अ0सा010 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में साक्षी मोहकमसिंह ब0सा01 को परीक्षित कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01

07. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी अलाउद्दीन अ0सा01 न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 02.01.11 के सुबह सात बजे की है वह एवं उसका लडका समीन स्कूल में पानी भर रहा था वह बाल्टी भरकर घर आ गया था एवं समीन वहीं खड़ा था तभी आरोपी कल्ली, कल्लू, लक्ष्मण, एवं नीरज ने उसका रास्ता रोककर उसे मां बहन की गालियां दी थी। साक्षी अनीशा अ0सा03 ने अपने परीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि चारों आरोपीगण ने उसके पति को मां बहन की बुरी-बुरी गालियां दी थी। शेष साक्षीगण द्वारा उक्त बिन्दु पर कोई कथन नहीं किया गया है।

08. इस प्रकार फरियादी अलाउद्दीन खां अ0सा01 एवं अनीशा अ0सा03 ने अपने कथन में सभी आरोपीगण द्वारा मां बहन की गालियां दिया जाना बताया है परन्तु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने कौन से अश्लील शब्द उच्चारित किए थे। जहाँ कई आरोपीगण पर गालियां दिए जाने का आरोप हो वहाँ साक्षीगण का मात्र यह कह देना पर्याप्त न होगा कि सभी आरोपीगण ने गालियां दी थीं साक्ष्य प्रत्येक आरोपी के विरुद्ध विनिर्दिष्ट स्वरूप की होनी चाहिए सभी आरोपीगण के विरुद्ध सामान्य स्वरूप की साक्ष्य स्वीकार योग्य नहीं होगी।

09. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी अलाउद्दीन अ0सा01 एवं अनीशा अ0सा02 ने सभी आरोपीगण द्वारा मां बहन की बुरी-बुरी गालियां देना बताया है परन्तु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने कौन से अश्लील शब्द अभिव्यक्त किए थे ऐसी स्थिति में भा0द0स0 की धारा 294 के संगठक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः आरोपीगण को भा0द0स0 की धारा 294 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02

10. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी अलाउद्दीन खान अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक को वह पानी भरकर घर आ रहा था तो आरोपी कल्ली, बल्लू, लक्ष्मण एवं नीरज ने उसका रास्ता रोक लिया था। साक्षी खाटून अ0सा02, समीन खां अ0सा05, ने भी आरोपीगण द्वारा अलाउद्दीन को घर लेने बाबत प्रकटीकरण किया है।

11. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी अलाउद्दीन खां अ0सा01 ने अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपी कल्लू, बल्लू, लक्ष्मण एवं नीरज द्वारा उसका रास्ता रोक लेना बताया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि नीरज प्रकरण में आरोपी नहीं है इसके अतिरिक्त प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 5 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसका रास्ता किसी आरोपीगण ने नहीं रोका था। इस प्रकार फरियादी अलाउद्दीन खां अ0सा01 ने अपने मुख्यपरीक्षण में तो यह बताया है कि आरोपीगण ने उसका रास्ता रोका था परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि किसी भी आरोपी ने उसका रास्ता नहीं रोका था। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी अलाउद्दीन खां अ0सा01 के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। फरियादी अलाउद्दीन खां अ0सा01 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षा के दौरान स्वयं यह व्यक्त किया गया है कि उसका रास्ता किसी भी आरोपीगण द्वारा नहीं रोका गया था। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भा0द0स0 की धारा 341 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03

12. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी अलाउद्दीन खां अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि आरोपीगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। अनीशा अ0सा03 ने भी अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने अलाउद्दीन को जान से मारने की धमकी दी थी। समीन खान अ0सा05 ने भी आरोपीगण द्वारा अलाउद्दीन को जान से खत्म करने की धमकी दिया जाना बताया है।

13. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी अलाउद्दीन खान अ0सा01, अनीशा अ0सा03 एवं समीन खां अ0सा05 ने सभी आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना बताया है। परन्तु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने कौन से शब्द उच्चारित किए थे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भा0द0स0 की धारा 506 भाग दो प्रमाणित करने के लिए यह आवश्यक है कि आरोपीगण द्वारा दी गयी धमकी वास्तविक है एवं उसे सुनकर फरियादी को भय अथवा अभित्रास कारित हुआ हो मात्र क्षणिक आवेश में दी गयी तुच्छ धमकियों से भा0द0स0 की धारा 506 भाग दो का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी अलाउद्दीन खान अ0सा01 द्वारा यह तो बताया गया है कि आरोपीगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी परन्तु यह नहीं बताया है कि आरोपीगण द्वारा दी गयी धमकियों को सुनकर उसे भय अथवा अभित्रास कारित हुआ था। ऐसी स्थिति में भा0द0स0 की धारा 506 भाग दो के संगठक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भा0द0स0 की धारा 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 04

14. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में डॉ0 संतोष कुमार सोनी अ0सा07 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 02.01.11 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में थाना गोहद के आरक्षक जगतसिंह द्वारा लाये जाने पर फरियादी अलाउद्दीन का चिकित्सीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के

दौरान उसने अलाउद्दीन के शरीर पर तीन चोटें पाई थीं जिनमें से चोट क्रमांक 1 माथे पर फटा हुआ घाव, चोट क्रमांक 2 सीधे हाथ के पंजे पर सूजन एवं दर्द, चोट क्रमांक 3 सीधे पैर की एड़ी में दर्द एवं सूजन पाई थी। उसके मतानुसार उक्त चोटें सख्त एवं मौंथरे हथियार से आना संभव थी जो उसकी परीक्षण अवधि के पूर्व 12 घण्टे के अंदर की थी। चोट क्रमांक 2 एवं 3 की प्रकृति जानने के लिए उसने एक्सरे की सलाह दी थी उसकी चिकित्सीय रिपोर्ट प्र0पी-5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने उक्त दिनांक को आहत अलाउद्दीन का एक्सरे परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने अलाउद्दीन के सीधे पैर की फिबुला हड्डी एवं सीधे हाथ के पंजे की पांचवी हड्डी में अस्थिभंगन होना पाया था उसकी एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी-6 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आहत को आई चोट गिरने से आना संभव है।

15. फरियादी अलाउद्दीन खां अ0सा01 ने भी अपने कथन में झगड़े के दौरान उसके सिर, दाहिने पैर एवं सीधे हाथ में चोट आना बताया है। साक्षी खाटून अ0सा02, अनीशा अ0सा03, समीन खान अ0सा05 ने भी अपने कथन में फरियादी अलाउद्दीन के सिर, हाथ एवं पैर में चोटें आने बाबत प्रकटीकरण किया है। उक्त सभी साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण का कथन फरियादी अलाउद्दीन खां के शरीर पर चोटें होने के बिन्दु पर अखण्डनीय रहा है। प्र0पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी फरियादी अलाउद्दीन खां के शरीर पर चोटें होने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी अलाउद्दीन खां अ0सा01 का कथन प्र0पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहा है। उक्त बिन्दु पर फरियादी अलाउद्दीन खां अ0सा01 के कथन का समर्थन साक्षी खाटून अ0सा02, अनीशा अ0सा03, समीन खान अ0सा05 एवं डॉ0 संतोष सोनी अ0सा07 द्वारा भी किया गया है। बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा उक्त सभी साक्षीगण का पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण का कथन फरियादी अलाउद्दीन के शरीर पर चोटें होने के बिन्दु पर अखण्डनीय रहा है। डॉ0 संतोष सोनी अ0सा07 चिकित्सीय विशेषज्ञ होकर हितबद्ध साक्षी है उसकी फरियादी से कोई हितबद्धता एवं आरोपीगण से कोई रंजिश होना अभिलेख से दर्शित नहीं है उक्त साक्षी का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादी अलाउद्दीन के शरीर पर चोटें होने के बिन्दु पर अखण्डनीय रहा है एवं अखण्डनीय रहे कथन के संबंध में यह उपधारणा की जाती है कि अखण्डनीय रहे कथन की सीमा तक उभयपक्षों के मध्य कोई विरोध नहीं है।

16. फलतः अवलोकन से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को फरियादी अलाउद्दीन खां के शरीर पर उपहतियां थीं जिनकी प्रकृति गंभीर थी।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 05

17. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या उक्त उपहतियां फरियादी अलाउद्दीन खां को आरोपी और केवल आरोपीगण द्वारा ही स्वेच्छया कारित की गयीं थीं।

18. उक्त संबंध में फरियादी अलाउद्दीन खां अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 02.01.11 के सुबह सात बजे की

है वह एवं उसका लड़का समीन स्कूल में पानी भर रहा था वह बाल्टी भरकर घर आ गया था समीन वहीं पर था तभी आरोपी कल्लू, बल्लू, लक्ष्मण एवं नीरज ने उसका रास्ता रोक लिया था और उसे मां बहन की गालियां दी थी जब उसने गाली देने से मना किया था तो आरोपीगण ने लाठी व हॉकी से उसकी मारपीट की थी, चारों ने लाठी व हॉकी से उसकी मारपीट की थी जिससे उसके दाहिने पैर, सिर एवं सीधे हाथ की छोटी अंगुली में चोट आई थी उसके बाद उसके घर वाले समीन, खाटून, अनीशा एवं अलीम आ गये थे जिन्होंने उसे बचाया था। उसने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद में की थी जो प्र०पी-1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र०पी-2 है जिसके ए से ए भा पर उसके हस्ताक्षर हैं।

19. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसकी मारपीट रास्ते पर नहीं हुई थी अस्पताल के पीछे हुई थी वह राजेन्द्रसिंह के खेत से नहीं निकला था। पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी का कहना है कि वह नहीं बता सकता कि किस आरोपी ने उसके शरीर के किस अंग पर लाठी मारी थी। नीरज के पिता का नाम केहरीसिंह है। नीरज, बबलू और लक्ष्मण उसे अस्पताल ले गये थे। उसकी मारपीट अस्पताल के गेट के सामने नहीं हुई थी बल्कि अस्पताल के पीछे उत्तर दिशा में हुई थी वह नहीं बता सकता कि हॉकी उसे किसने मारी थी क्योंकि वह बेहोश होकर गिर गया था उसके दाहिने पैर में रनवीर ने लाठी मारी थी उसके सीधे हाथ की छिंगुली अंगुली में रनवीर ने लाठी मारी थी। पद क्रमांक 4 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि प्र०पी-1 की रिपोर्ट में आरोपी नीरज का नाम नहीं है एवं स्पष्ट किया है कि वह केहरी का लड़का है एवं उसने केहरी के लड़के के खिलाफ रिपोर्ट की थी। पद क्रमांक 5 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसने आरोपी बबलू का नाम रिपोर्ट में लिखाया था बबलू टुडीला का रहने वाला है बबलू ने उसकी मारपीट की थी। उसे आरोपीगण के नाम बाद में पता चल गये थे। उसने बयान देते वक्त सभी आरोपीगण के नाम बताये थे। अपने पुलिस कथन में उसने चारों आरोपीगण के नाम लिखवा दिए थे।

20. साक्षी खाटून अ०सा००२ अनीशा अ०सा००३ एवं समीन खान अ०सा००५ ने भी फरियादी अलाउद्दीन अ०सा००१ के कथन का समर्थन किया है एवं आरोपीगण द्वारा अलाउद्दीन की मारपीट किए जाने बाबत प्रकटीकरण किया है।

21. साक्षी इब्राहीम अ०सा००४, अलीम खां अ०सा००६, नारायण अ०सा००९ एवं इन्द्रसिंह अ०सा००१० द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है तथा घटना की जानकारी न होना बताया गया है। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर कि उक्त सभी साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षीगण के कथन से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

22. ए०एस०आई० बैजनाथसिंह अ०सा००८ द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है।

23. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता

है। आरोपीगण की ओर से उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत गोविन्ददास विरुद्ध म0प्र0 राज्य 1988 एम.पी.डब्ल्यू.एन.221, न्यायदृष्टांत पोखनसिंह और अन्य विरुद्ध म0प्र0 राज्य एन.106 न्यायदृष्टांत बाबूलाल चौधरी विरुद्ध म0प्र0राज्य एन.152 एवं न्यायदृष्टांत जामसिंह और अन्य विरुद्ध म0प्र0राज्य किमिनल लॉ जनरल 1986 प्रकरण में प्रस्तुत किए गए हैं। इसके विपरीत तर्क के दौरान अभियोजन द्वारा यह व्यक्त किया है कि अभियोजन साक्ष्य परस्पर पुष्टिकारक है।

24. बचाव के दौरान आरोपीगण की ओर से बचाव साक्षी मोहकमसिंह ब0सा01 को परीक्षित कराया गया है। मोहकमसिंह ब0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन चम्हेडी के नीरज एवं उसके साथ के 2-3 लडकों से फरियादी अलाउद्दीन का झगडा हुआ था तथा नीरज वगैरह ने अलाउद्दीन की लाठी डण्डों से मारपीट की थी। अलाउद्दीन का भतीजा इमदाद ठेकेदार के यहां काम करता था कल्ली उर्फ रनवीर ने इमदाद की शिकायत ठेकेदार से की थी तो ठेकेदार ने इमदाद को नौकरी से निकाल दिया था इसी रंजिश के कारण अलाउद्दीन ने कल्ली उर्फ रनवीर एवं उनके रिश्तेदारों के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट कर दी थी।

25. इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी अलाउद्दीन अ0सा01 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि घटना वाले दिन वह बाल्टी भरकर घर आ रहा था तो आरोपी कल्ली, बल्लू, लक्ष्मण एवं नीरज ने उसका रास्ता रोक लिया था तथा आरोपीगण ने लाठी एवं हॉकी से उसकी मारपीट की थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि नीरज, बल्लू एवं लक्ष्मण उसे अस्पताल के पीछे मिले थे। इस प्रकार फरियादी अलाउद्दीन अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि उसे आरोपी कल्ली, बबलू, लक्ष्मण एवं नीरज रास्ते में मिले थे तथा उक्त लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया था जबकि नीरज प्रकरण में आरोपी नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अलाउद्दीन अ0सा01 ने आरोपी कल्ली, बबलू, लक्ष्मण द्वारा एक साथ आकर उसका रास्ता रोक लेना बताया है परन्तु इस तथ्य का उल्लेख कि चारों व्यक्तियों ने एक साथ आकर फरियादी का रास्ता रोक लिया था प्र0पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। प्र0पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आरोपी कल्ली उर्फ रनवीर ने फरियादी अलाउद्दीन का रास्ता रोककर उसकी मारपीट की थी उसके बाद केहरी के लडके ने उसे लाठी मारी थी उसके बाद एक आदमी जो सरसों के खेत में छिपा था उसने फरियादी की मारपीट की थी तथा एक और व्यक्ति जो छिपा हुआ था उसके बाद उस व्यक्ति ने फरियादी अलाउद्दीन की मारपीट की थी इस प्रकार प्र0पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कल्ली उर्फ रनवीर ने सर्वप्रथम फरियादी अलाउद्दीन का रास्ता रोका था प्र0पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह वर्णित नहीं है कि चारों आरोपीगण ने एकसाथ आकर फरियादी अलाउद्दीन की मारपीट की थी जबकि फरियादी अलाउद्दीन अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि आरोपी कल्ली, लक्ष्मण बबलू नीरज ने एक साथ आकर उसे घेर लिया था एवं उसकी मारपीट की थी इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी अलाउद्दीन अ0सा01 के कथन प्र0पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरोधाभासी रहे हैं जो अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।

26. फरियादी अलाउद्दीन अ0सा01 ने अपने कथन में आरोपी कल्ली उर्फ रनवीर के अतिरिक्त आरोपी बबलू, लक्ष्मण एवं नीरज द्वारा आकर उसकी मारपीट

करना बताया है नीरज प्रकरण में आरोपी नहीं है तथा आरोपी बबलू एवं लक्ष्मण का नाम फरियादी द्वारा प्र०पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपने पुलिस कथन में नहीं बताया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि फरियादी द्वारा प्र०पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपी कल्ली उर्फ रनवीर एवं केहरी के लड़के तथा दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध लेखबद्ध कराई गयी है। प्र०पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं फरियादी अलाउद्दीन के पुलिस कथन में बबलू, लक्ष्मण एवं नीरज के नाम का उल्लेख नहीं है। फरियादी अलाउद्दीन अ०सा०1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसने रिपोर्ट एवं पुलिस कथन में बबलू, लक्ष्मण एवं नीरज का नाम तथा उनके द्वारा लाठी एवं हॉकी से मारपीट करने वाली बात लिखा दी थी। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 5 में यह भी बताया है कि वह रिपोर्ट लिखाते समय मारपीट करने वाले लोगों में से दो लोगों का नाम नहीं जानता था जब बाद में उसे नाम पता चला था तो उसने अपने पुलिस कथन में सभी आरोपीगण के नाम पुलिस को बता दिए थे परन्तु फरियादी अलाउद्दीन खां अ०सा०1 के पुलिस कथन में आरोपी लक्ष्मण, बबलू एवं नीरज के नाम का उल्लेख नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी अलाउद्दीन अ०सा०1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 4 में यह बताया है कि उसने रिपोर्ट लिखाते समय ही आरोपी बबलू, लक्ष्मण एवं नीरज द्वारा उसकी मारपीट करना लिखा दिया था परन्तु पद क्रमांक 5 में उक्त साक्षी का कहना है कि रिपोर्ट लिखाते समय उसे दो लोगों का नाम पता नहीं था एवं दो लोगों के नाम जब पुलिस उसका बयान लेने आई थी तब उसने बताये थे जबकि प्र०पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं फरियादी अलाउद्दीन खां अ०सा०1 के पुलिस कथन में बबलू, लक्ष्मण एवं नीरज के नाम का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार फरियादी अलाउद्दीन खां अ०सा०1 के कथनों से यह दर्शित है कि अलाउद्दीन खां अ०सा०1 का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान भी विरोधाभासी रहा है उक्त साक्षी का कथन प्र०पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन से भी विरोधाभासी रहा है यह तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

27. फरियादी अलाउद्दीन अ०सा०1 ने अपने कथन में अन्य आरोपीगण के अतिरिक्त नीरज द्वारा उसकी मारपीट करना बताया है जबकि नीरज प्रकरण में आरोपी नहीं है। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने केहरी के लड़के के खिलाफ रिपोर्ट की थी और नीरज केहरी का लड़का है जबकि ए०एस०आई० बैजनाथसिंह अ०सा०8 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि जांच के दौरान केहरी का लड़का घटना में शामिल नहीं पाया गया था इस कारण उसे प्रकरण में मुलजिम नहीं बनाया गया। जिस पर अलाउद्दीन अ०सा०1 ने नीरज द्वारा उसकी मारपीट करना बताया है जबकि नीरज प्रकरण में आरोपी नहीं है यह तथ्य भी फरियादी अलाउद्दीन अ०सा०1 के कथनों की सत्यता के प्रति संदेह उत्पन्न कर देता है।

28. जहां तक साक्षी खाटून अ०सा०2, अनीशा अ०सा०3 एवं समीन खान अ०सा०5 के कथन का प्रश्न है तो साक्षी खाटून अ०सा०2, अनीशा अ०सा०3 एवं समीन खान अ०सा०5 ने भी आरोपी कल्ली लक्ष्मण, नीरज एवं बबलू द्वारा फरियादी अलाउद्दीन की मारपीट करना बताया है परन्तु उक्त साक्षीगण द्वारा आरोपी लक्ष्मण, बबलू एवं नीरज का नाम अपने पुलिस कथन में नहीं बताये गये हैं। साक्षी खाटून अ०सा०2 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन उसके पिता

अलाउद्दीन कुंए से पानी भरकर ला रहे थे वह भी अपने पिता के साथ में थी तभी आरोपी कल्ली, लक्ष्मण, नीरज और बबलू पुलिया के पास से भागकर आये थे एवं उसके पिता को घेर लिया था परन्तु यह बात कि आरोपीगण पुलिया से भागकर आये थे स्वयं फरियादी अलाउद्दीन अ0सा01 द्वारा नहीं बतायी गयी है। खाटून अ0सा02 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि घटना के वक्त वह अपने पिता के साथ थी परन्तु यह बात भी फरियादी अलाउद्दीन अ0सा01 द्वारा नहीं बतायी गयी है। खाटून अ0सा02 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि घटनास्थल पर उसके भाई समीन ने गोली चलाई थी परन्तु यह बात भी स्वयं फरियादी अलाउद्दीन अ0सा01 द्वारा नहीं बतायी गयी है इस प्रकार फरियादी अलाउद्दीन अ0सा01 एवं खाटून अ0सा02 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षीगण के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पद विरोधाभासी रहे हैं जो अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी खाटून अ0सा02 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसने लक्ष्मण एवं बबलू को गांव में कई बार देखा है परन्तु उक्त साक्षी द्वारा हाजिर अदालत बबलू की पहचान नहीं की जा सकी है। यह तथ्य भी संपूर्ण अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देता है।

29. खाटून अ0सा02 ने अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपी कल्ली, बबलू लक्ष्मण एवं नीरज द्वारा उसके पिता अलाउद्दीन की मारपीट करना बताया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि जब वह और उसकी मां मौके पर पहुंचे थे तब तक आरोपीगण भाग चुके थे आरोपीगण उसे मौके पर नहीं मिले थे। इस प्रकार खाटून अ0सा02 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। उक्त साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के वक्त वह अपने पिता अलाउद्दीन के साथ थी परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह बताया गया है कि जब वह मौके पर पहुंची थी तो उसे आरोपीगण मौके पर नहीं मिले थे। इस प्रकार साक्षी खाटून अ0सा02 के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। उक्त साक्षी के कथन तात्विक बिन्दुओं पर फरियादी अलाउद्दीन अ0सा01 के कथन से भी विरोधाभासी रहे हैं यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।

30. साक्षी अनीशा अ0सा03 ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपी कल्ली, बबलू, लक्ष्मण एवं नीरज द्वारा उसके पति अलाउद्दीन की मारपीट करना बताया है एवं यह भी व्यक्त किया है कि वह घटना के वक्त घर के अंदर भैंस बांध रही थी जब वह भैंस बांधकर आयी थी तो उसने देखा था कि उसके पति खेत में बहोश पड़े थे। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि लक्ष्मण एवं नीरज पर हॉकी तथा बबलू एवं कल्ली के पास लाठी थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपीगण को पति की मारपीट करते हुए नहीं देखा था उसके लड़के ने 3-4 फायर कल्ली के घर की तरफ किए थे। इस प्रकार साक्षी अनीशा अ0सा03 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि उसने आरोपी लक्ष्मण एवं नीरज को हॉकी तथा बबलू एवं कल्ली के पास लाठी देखी थी परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि जब वह मौके पहुंची थी तब तक आरोपीगण भाग चुके थे उसने आरोपीगण को मारपीट करते हुए नहीं देखा था। साक्षी अनीशा अ0सा03 के उक्त कथन से यह दर्शित है कि

अनीशा अ0सा03 के कथन भी अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं एवं अनीशा अ0सा03 ने भी आरोपीगण को अलाउद्दीन की मारपीट करते हुए नहीं देखा था।

31. साक्षी समीन खान अ0सा05 ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपी कल्ली, लक्ष्मण, बबलू एवं नीरज द्वारा उसके पिता अलाउद्दीन की मारपीट करना बताया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसने आरोपीगण को गांव की ओर भागते हुए देखा था उसने रोड से आरोपीगण को भागते हुए देखा था। जब वह अपने पिता के पास सरसों के खेत में पहुंचा था तो उसने पिताजी को बेहोशी हालत में देखा था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि जब वह उसकी मां एवं उसकी बहन घटनास्थल पर पहुंचे थे तब तक आरोपीगण भाग चुके थे। उसने बंदूकों से फायर नहीं किया था। इस प्रकार समीन खान अ0सा05 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि जब तक वह मौके पर पहुंचा था तब तक आरोपीगण भाग चुके थे। उक्त साक्षी के इस कथन से यही प्रकट होता है कि उसने भी आरोपीगण को मारपीट करते हुए नहीं देखा था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी खाटून अ0सा02 एवं अनीशा अ0सा03 द्वारा यह बताया गया है कि समीन ने मौके पर फायर किए थे जबकि समीन अ0सा05 का कहना है कि उसने फायर नहीं किए थे इस प्रकार उक्त बिन्दु पर समीन अ0सा05 के कथन खाटून अ0सा02 एवं अनीशा अ0सा03 के कथन से भी परस्पर विरोधाभासी रहे हैं जो उक्त सभी साक्षीगण की मौके पर उपस्थिति संदेहास्पद बना देते हैं।

32. शेष साक्षी इब्राहीम अ0सा04, अलीम खां अ0सा06, नारायणसिंह अ0सा09 एवं इन्द्रसिंह अ0सा010 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त सभी साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षीगण के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

33. प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि साक्षी खाटून अ0सा02, अनीशा अ0सा03 एवं समीन खां अ0सा05 के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान विरोधाभासी रहे हैं। साक्षी खाटून अ0सा02, अनीशा अ0सा03 एवं समीन खान अ0सा05 ने अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपीगण द्वारा अलाउद्दीन की मारपीट करना बताया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षीगण द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि जब वह मौके पर पहुंचे थे तब तक आरोपीगण भाग चुके थे। उक्त साक्षीगण के कथनों से यही प्रकट होता है कि उक्त साक्षीगण ने मारपीट होते हुए नहीं देखी थी। उक्त साक्षीगण के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। ऐसी स्थिति में साक्षी खाटून अ0सा02, अनीशा अ0सा03 एवं समीन खां अ0सा05 की मौके पर उपस्थिति संदेहास्पद है। शेष साक्षी इब्राहीम अ0सा04, अलीम खान अ0सा06, नारायणसिंह अ0सा09 एवं इन्द्रसिंह अ0सा010 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है।

34. जहां तक फरियादी अलाउद्दीन खां अ0सा01 के कथन का प्रश्न है तो

अलाउद्दीन अ0सा01 के कथन भी अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। फरियादी अलाउद्दीन अ0सा01 ने आरोपी कल्लू, बबलू, लक्ष्मण एवं नीरज द्वारा उसकी मारपीट करना बताया है परन्तु नीरज प्रकरण में आरोपी नहीं है। फरियादी अलाउद्दीन खां अ0सा01 के कथन तात्विक बिन्दुओं पर प्र0पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं फरियादी अलाउद्दीन अ0सा01 के पुलिस कथन से भी विरोधाभासी रहे हैं। फरियादी द्वारा प्र0पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी बबलू, लक्ष्मण एवं नीरज का नाम नहीं बताया गया है। प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपीगण की शिनाख्ती कार्यवाही नहीं कराई गयी है। प्रकरण में आरोपीगण की पहचान भी संदेहास्पद है। फरियादी अलाउद्दीन खां अ0सा01, खाटून अ0सा02, अनीशा अ0सा03 एवं समीन खां अ0सा05 तथा बैजनाथसिंह अ0सा08 के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। ऐसी स्थिति में फरियादी अलाउद्दीन अ0सा01 की एकल साक्ष्य के आधार पर अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

35. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित है।

36. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 02.11.11 को सुबह करीबन 7 बजे अस्पताल के पीछे राजेन्द्रसिंह के सरसों के खेत ग्राम पाली में फरियादी अलाउद्दीन की लाठियों से मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर उसे स्वच्छया गंभीर उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भा0द0स0 की धारा 325 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

37. उपरोक्त चरणों में की गयी समग्र विवेचना से अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है अतः यह न्यायालय आरोपीगण को संदेह का लाभ देते हुए आरोपी कल्लू उर्फ रनवीर, लक्ष्मणसिंह, एवं बल्लू उर्फ अरविन्द को भा0द0स0 की धारा 294, 341, 325, एवं 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त करती है।

38. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

39. प्रकरण में आरोपी कल्लू उर्फ राजवीर फरार है। अतः प्रकरण में संपत्ति एवं प्रकरण का मूल अभिलेख सुरक्षित रखा जावे।

स्थान—गोहद

दिनांक :-12.10.17

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया
सही/-

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया
सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)